

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रा.पत्र / 17 / 2023

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, लि० तृतीय तल जेएसईएल बिल्डिंग, मालवीय नगर जयपुर जरिये
प्राधिकृत अधिकारी

....प्रार्थी / सिक्क्योर क्रेडिटर

बनाम

- 1- मै० जी०एस० उद्योग, प्रो० अश्वनी बागपतिया, नई मण्डी भरतपुर राजस्थान
- 2- श्री अश्वनी बागपतिया, पता बागपतिया भवन नई मण्डी, भरतपुर राज०
.....अप्रार्थी ऋणी
- 3- ममता देवी बागपतिया पता- बागपतिया भवन, नई मण्डी भरतपुर,
पता 2- प्लॉट नं. 18 ई नई मण्डी, भरतपुर राजस्थान
पता 3- प्लॉट नं. 18 ई नई मण्डी स्टेशन रोड़ भरतपुर
.....गारन्टर अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्क्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

दिनांक 19.7.2023

आदेश

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी० अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी० ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी० ने 2500000/- रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने श्रीमती ममता देवी पत्नि स्व० श्री भूपेन्द्र बागपतिया की एक सम्पत्ति जो कि प्लॉट नं. 18 ई, नई मण्डी भरतपुर राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 34 वर्ग गज है जिसकी सीमाएँ - उत्तर में - भूखण्ड संख्या-18 डी, दक्षिण में- रोड़, पूर्व में भूखण्ड संख्या-18एफ, पश्चिम में गली स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी० के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 03-01-2022 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 26-07-2022 तक 2547360.70/- रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी० पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी० ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 27-07-2022 अप्रार्थी० को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, तथा नोटिस दो अखवार में स्याहा कराया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी० द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण

.....2

Kow

(2)

प्रा.पत्र/ 19/2023

आई.सी.आई.सी.आई बैंक बनाम जी.एस.उद्योग वगे.

राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा- 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 27-07-2022 अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया तथा अखवार में स्याहा कराया गया है। उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण ने श्रीमती ममता देवी पत्नि स्व0 श्री भूपेन्द्र बागपतिया की एक सम्पत्ति जो कि प्लॉट नं. 18 ई, नई मण्डी भरतपुर है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 34 वर्ग गज है जिसकी सीमाएँ - उत्तर में - भूखण्ड संख्या-18 डी, दक्षिण में- रोड़, पूर्व में भूखण्ड संख्या-18एफ, पश्चिम में गली स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

